

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक/मुख्य अभि./पदो./8406/2025/1656

दिनांक:-22/08/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर मुख्य अभियन्ता के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.-2017 के लेवल एल-24 में वेतन श्रृंखला 148800-218600) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1	श्री प्रतीक श्रीवास्तव	01.04.2025

उक्त लोकसवेक के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसवेक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B. Civil writ Petition No. 12790/2016 Rajendra Gupta V/s Rajasthan Housing Board, No. 16505/2016 Rajendra Singh V/s Rajasthan Housing Board, No. 1633/2016 D.K. Garg V/s Rajasthan Housing Board, No. 5842/2016 Rohit Singh V/s Rajasthan Housing Board, No. 8391/2015 Hanuman Singh Barfa V/s Rajasthan Housing Board and ors., No.5876/2015 K.S.Choudhary V/s Rajasthan Housing Board के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:- प1(1)कार्मिक/अ.मु.अ./ पदो./ 8406/2025/1057 दिनांक:- 22/08/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित उप आवासन आयुक्त को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.-2017 के लेवल एल-21 में वेतन श्रृंखला 123100-203500) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि	विशेष विवरण
1	श्री अलकेश कुमार पाटोदिया	01.04.2025	-
2	श्री के.के.दीक्षित	01.04.2025	कार्यानुभव में 01 वर्ष की शिथिलता
3	श्री पृथ्वी लाल मीणा, अजजा	01.04.2025	कार्यानुभव में 02 वर्ष की शिथिलता
4	श्री संजय शर्मा	01.12.2025	कार्यानुभव में 02 वर्ष की शिथिलता

उक्त लोकसेवकों के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसेवक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे। कार्यानुभव में शिथिलता प्राप्त कर पदोन्नत हुये लोकसेवकों का वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26-ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B. Civil writ Petition No. 12790/2016 Rajendra Gupta V/s Rajasthan Housing Board, No. 16505/2016 Rajendra Singh V/s Rajasthan Housing Board, No. 1633/2016 D.K. Garg V/s Rajasthan Housing Board, No. 5842/2016 Rohit Singh V/s Rajasthan Housing Board, No. 8391/2015 Hanuman Singh Barfa V/s Rajasthan Housing Board and ors., No.5876/2015 K.S.Choudhary V/s Rajasthan Housing Board के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अ. (मु./I/II), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
4. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित श्री।
9. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/उप आवा.आयुक्त/ पदो./8406/2025/1058 दिनांक:-22/08/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित आवासीय अभियन्ता को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर उप आवासन आयुक्त के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.- 2017 के लेवल एल-19 में वेतन श्रृंखला 79900-199500) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1.	श्री रोहित सिंह	01.04.2025
2.	श्री उमेश कुमार गोयल	01.04.2025
3.	श्री राजेश व्यास	01.04.2025
4.	श्री राजेन्द्र कुमार जैन	01.04.2025
5.	श्री बद्री लाल मीणा, अजजा	01.04.2025

उक्त लोकसवेको के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसवेक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B. Civil Writ Petition No. 12790/2016 Rajendra Gupta V/S Rajasthan Housing Board, No. 16505/2016 Rajendra Singh V/S Rajasthan Housing Board, No. 16333/2016 D.K. Garg V/S Rajasthan Housing Board, No. 5842/2016 Rohit Singh V/S Rajasthan Housing Board, No. 8391/2015 Hanuman Singh Barfa V/S Rajasthan Housing Board and Ors., No. 5876/2015 K.S. Choudhary V/S Rajasthan Housing Board एवं अन्य रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:-प1(1)कार्मिक/आवा.अभि./पदो./8406/2025/1059

दिनांक:- 22/08/2025

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ) (डिप्लोमा) को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर आवासीय अभियन्ता के पद पर डिप्लोमा अभ्यांश में वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.-2017 के लेवल एल-16 में वेतन श्रृंखला 67300-195000) में पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1	श्री हरिकेश मीणा (अजजा)	01.08.2025

उक्त लोकसवेक के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसवेक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे।

उपरोक्त पदोन्नति आदेश माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन S.B. Civil Writ Petition No. 12790/2016 Rajendra Gupta V/S Rajasthan Housing Board, No. 16505/2016 Rajendra Singh V/S Rajasthan Housing Board, No. 16333/2016 D.K. Garg V/S Rajasthan Housing Board, No. 5842/2016 Rohit Singh V/S Rajasthan Housing Board, No. 8391/2015 Hanuman Singh Barfa V/S Rajasthan Housing Board and Ors., No. 5876/2015 K.S. Choudhary V/S Rajasthan Housing Board एवं अन्य रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मु.अभि. (मु.)/I/II, राआमं, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि0स0 एवं मुख्यलेखाधिकारी,रा0आ0 मण्डल,जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
4. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज0 आवासन मण्डल,.....।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा0आ0 मण्डल,जयपुर।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल,जयपुर।
8. संबंधित श्री।
9. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक/वरि.लेखा./पदो./8406/2025/1060

दिनांक:- 22/08/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित लेखाधिकारी को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.- 2017 के लेवल एल-16 में वेतन श्रृंखला 67300-195000) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1	श्रीमती रचना पारीक	01.04.2025

उक्त लोकसवेक के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसवेक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

सचिव

राजस्थान आवासन मण्डल:: जयपुर



क्रमांक:-प.1(1)कार्मिक/सम्पदा प्रबंधक/पदो./8406/2025/1061

दिनांक:-22/08/2025

कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 20.08.2025 की अभिशंषा पर निम्नांकित सहायक आवासन अधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कार्मिक प्रबन्धक/सहायक सचिव/सम्पदा प्रबन्धक के पद पर वर्ष 2025-26 की रिक्ति के विरुद्ध (आर.पी.आर.- 2017 के लेवल एल-14 में वेतन श्रृंखला 56100-177500) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि	विशेष विवरण
1	श्री किशोर चन्द, अजा	01.04.2024	कार्यानुभव में 02 वर्ष की शिथिलता

उपरोक्त पदोन्नत लोकसेवक को पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में शिथिलता प्रदान किये जाने के कारण इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26-ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त लोकसेवक के नव पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे। पदोन्नत लोकसेवक अग्रिम आदेशों तक वर्तमान पदस्थापित कार्यालय में यथावत कार्य करते रहेंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(डॉ० अनिल कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता मुख्यालय/ प्रथम/ द्वितीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सचिव-सचिव/वि०स० एवं मुख्यलेखाधिकारी, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/उप आवासन आयुक्त वृत्त.....।
5. आवासीय अभियन्ता, खण्ड..... राज० आवासन मण्डल,.....।
6. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), रा०आ० मण्डल, जयपुर।
7. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय राज० आवासन मण्डल, जयपुर।
8. लेखाधिकारी भुगतान/ एसीआर/गोपनीय /विधि प्रकोष्ठ, रा०आ० मण्डल, जयपुर।
9. संबंधित श्री।
10. संबंधित की निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


सचिव